आवश्यक

संख्या:15/2020/1072/12-2-2020-एफ.42/2001

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 22 जून, 2020

विषय: कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासयनिक उर्वरकों की व्यवस्था, उर्वरकों का वितरण शतप्रतिशत पी0ओ0एस0 के माध्यम से करने तथा बिक्री उपरान्त कृषकों को कैशमेमों/पर्ची दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि खरीफ, 2020 की फसलों की बुआई/रोपाई का कार्य प्रारम्भ होने के दृष्टिगत असामाजिक तत्वों द्वारा उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी तथा नेपाल सीमा से लगे हुए क्षेत्र में तस्करी किए जाने की सम्भावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना शासन की प्राथमिकता है। अत: उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी तथा तस्करी पर नियंत्रण करना आवश्यक है।

2. उल्लेखनीय है कि प्रदेश में गत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष लॉकडाउन की अवधि (माह अप्रैल एवं मई, 20) में उर्वरकों की बिक्री अधिक हुई है, जिस पर सतर्क दृष्टि रखने के साथ-साथ इन्टीग्रेटिड फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम (iFMS) पर उपलब्ध टॉप-20 बायर्स, फिक्रक्केन्ट बायर्स आदि के विवरण के आधार पर उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की नियमित रूप से संबंधित जनपदीय अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक आयोजित कर समीक्षा की जाये एवं समीक्षा के दौरान संज्ञान में लाये गये प्रकरणों पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपर सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: 15011/02/2020-डी0टी0टी0 दिनांक 27 अप्रैल, 2020 के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर आधारबेस्ड उर्वरक सेल्स विदआउट बायोमैट्रिक ऑथेन्टिकेशन के क्रम में कृषकों को सुगमतापूर्वक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के दिये गये निर्देशों के क्रम में कृपया निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) प्रत्येक उर्वरक व्यवसायी के पास स्टाक पंजिका, विक्रय पंजिका तथा रसीद का होना आवश्यक है। जनपद में थोक/फुटकर उर्वरक विक्रेताओं तथा उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उर्वरकों की उर्वरकवार बिक्री दर तथा स्टाक का अंकन ब्लैक बोर्ड पर प्रतिदिन अंकित किया जाय।

(2) उर्वरकों के क्रेता कृषकों के पहचान का विवरण कैश रसीद पर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय। पहचान विवरण के अन्तर्गत राशन कार्ड, जोतबही, निर्वाचन पहचान पत्र, बैंक पासबुक अथवा इसी प्रकार के अन्य अभिलेखों आदि को अनिवार्य रूप से देखा जाये, जिसके आधार पर क्रेता कृषक की पहचान सुनिश्चित हो सके।

(3) उर्वरक विक्रेता द्वारा अपने विक्रय केन्द्रों पर एक विक्रय रजिस्टर रखा जाये, जिसमें किसान का नाम, पिता का नाम, ग्राम का नाम, श्रेणी, कृषित भूमि, उर्वरक का नाम, मात्रा, प्राप्त धनराशि तथा कैश रसीद की संख्या एवं दिनांक का अंकन किया जाये ताकि आवश्यकतानुसार समय-समय पर सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके।

(4) यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0, एम0ओ0पी0 एवं काम्प्लेक्स उर्वरक के बोरों पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य पर ही बिक्री सुनिश्चित करायी जाये। यदि कोई उर्वरक विक्रेता अधिकतम खुदरा मूल्य दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री करता हुआ पाया जाये तो उसके विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 में निहित प्राविधानानुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

(5) यह सुनिश्चित किया जाय कि निरीक्षण के समय उर्वरक निरीक्षकों द्वारा यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0, एम0ओ0पी0 एवं काम्प्लेक्स के अतिरिक्त मिश्रित उर्वरक, जिंक सल्फेट एवं जैव उर्वरक आदि के भी नमूनें अधिक से अधिक संख्या में लिए जायें ताकि कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध हो सके। ग्रहित नमूनों का परीक्षण प्राथमिकता पर कराते हुए प्राप्त परिणामों के आधार पर यथोचित समयबद्ध कार्यवाही की जाय।

(6) भारत-नेपाल सीमावर्ती जनपदों में 05 कि0मी0 क्षेत्रान्तर्गत निजी क्षेत्र की उर्वरक बिक्री हेतु उर्वरक निबंधन प्रमाण पत्रों के निर्गमन पर लगे प्रतिबंध के दृष्टिगत सुनिश्चित किया जाय कि इस परिधि में निजी क्षेत्र का कोई उर्वरक विक्रय केन्द्र क्रियाशील न रहे। साथ ही इन जनपदों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से अवैध परिसंचलन पर भी पुलिस एवं स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एस0आई0बी0) के द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जाय एवं अवैध परिसंचलन को कठोरता से रोका जाय।

(7) कृषकों को पहचान पत्र के आधार पर उनकी कृषित भूमि और फसलवार संस्तुत मात्रा के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध कराये जायें ताकि मंहगे उर्वरकों का असन्तुलित प्रयोग एवं कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यो में दुरूपयोग को नियंत्रित किया जा सके।

(8) उर्वरकों की शीर्ष मांग के समय असामाजिक तत्वों द्वारा सस्ते एन0पी0के0 अथवा नकली उर्वरक तैयार करके डी0ए0पी0 के बैग में भरकर मंहगी दरों पर बेचने का प्रयास किया जाता है, ऐसे परिसर/स्थानों पर निगरानी रखी जाये तथा ऐसे स्थानों को चिन्हित कर छापेमारी की कार्यवाही करते हुए दोषियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

(9) यदि कोई उर्वरक विक्रेता कृषकों को मुख्य उर्वरक यथा यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0, मिश्रत उर्वरक, काम्प्लेक्स एवं एम0ओ0पी0 के साथ कम प्रचलित अन्य उत्पाद भी खरीदने हेतु बाध्य किया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। ऐसे प्रदायकर्ताओं पर भी सतर्क दृष्टि रखी जाय, जिनके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

द्वारा किसी थोक उर्वरक विक्रेता को प्रमुख उर्वरक यूरिया, डी0ए0पी0, एन0पी0के0 काम्प्लेक्स एवं एम0ओ0पी0 की आपूर्ति दिये जाने हेतु कम प्रचलित उर्वरक प्राप्त करने हेतु बाध्य किया जाता है। बाध्यता की पुष्टि होने पर संबंधित उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता के विरूद्ध भी एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय, क्योंकि इस प्रकार के कम प्रचलित उर्वरक टैग किए जाने एवं उनका समय से विक्रय न होने के कारण प्रमुख उर्वरकों के मूल्य प्रभावित होते हैं और कालाबाजारी को बढावा मिलता है। इस पर विशेष बल दिया जाय ताकि कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

(10) जनपदों में लक्ष्यानुसार यूरिया एवं फास्फेटिक (डी0ए0पी0+एन0पी0के0) उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण सहकारिता क्षेत्र में किया जा रहा है, ऐसे में लक्ष्यानुसार अग्रिम भण्डारण सुनिश्चित किया जाय तथा कृषकों के मध्य उर्वरकों की अधिक मांग के समय तत्संबंधी शासनादेश/जिलाधिकारी की अनुमति से उपलब्ध स्टाक को अवमुक्त किया जाय।

(11) जनपद में स्थित सभी संस्थाओं यथा सहकारी, यू0 पी0 स्टेट एग्रो, गन्ना संघ, उद्यान एवं निजी क्षेत्र में उर्वरकों की बिक्री पी0ओ0एस0 के माध्यम से ही सुनिश्चित करायी जाय। उल्लंघन की दशा में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही संस्थित की जाय।

(12) जनपदों में प्राय: थोक उर्वरक विक्रेताओं द्वारा उर्वरक स्टाक को एक जनपद से दूसरे जनपद के थोक उर्वरक विक्रेता को विक्रय/हस्तान्तरित किया जाता है, जिसके कारण उर्वरकों की शीर्ष मांग के समय जनपद में आवंटन के सापेक्ष पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति/उपलब्धता होते हुए भी कमी हो जाती है। यह स्थिति उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं उर्वरक (परिसंचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 का स्पष्ट उल्लंघन है, वहीं दूसरी तरफ राज्य स्तर से प्रत्येक माह जारी किए जाने वाले उर्वरक मूवमेंट प्लान के सापेक्ष उर्वरकों की आपूर्ति की कार्यवाही की जा रही है। जनपद हेतु जारी किए गए उर्वरक मूवमेंट प्लान के सापेक्ष किसी भी प्रकार के उर्वरकों का अन्य जनपद को संचलन अनुचित है एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 तथा उर्वरक (परिसंचलन नियंत्रण), 1973 का उल्लंघन है। जनपद में स्थित संबंधित विभागीय/सहकारी क्षेत्र के अधिकारियों एवं उर्वरक विनिर्माता/ प्रदायकर्ता संस्था के प्रतिनिधियों एवं क्रियाशील थोक उर्वरक विक्रेताओं एवं फुटकर विक्रेताओं के साथ समय-समय पर बैठक आयोजित कर समीक्षा की जाये तथा उर्वरक बिक्री केन्द्रों के स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही भी सुनिश्चित करायी जाये ताकि उक्त मामलों में संलिप्त पाये जाने की स्थिति में संबंधित उर्वरक विक्रेता/उर्वरक विनिर्माता एवं प्रदायकर्ता संस्थाओं के विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 में निहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करायी जाय।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:15/2020/1072/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0/यू0 पी0 स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0/गन्ना संघ/ औद्यानिक संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त उर्वरक विनिर्माता/प्रदायकर्ता संस्थाएं, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राधेश्याम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।